

प्रेषक,

डा. रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

2- निदेशक,
जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 06 फरवरी, 2019

विषय: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अशासकीय विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण कार्य अग्रिम आदेशों तक स्थगित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-438/XVII-2/18-19(OBC)/2016 दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 को सम्यक विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1711/XVII-2/16-19(OBC)/2016 दिनांक 11.01.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति के वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

05/02/2019
(डा. रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: XVII-2 / 19-19(OBC) 2016-टी.सी. तददिनांक

प्रतिलिपि: - समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(डा. राम बिलास यादव)
अपर सचिव।